CNR No UPMH010023862026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–656 / 2026

सुरेश प्रजापति उर्फ नोहर पुत्र छन्नू उर्फ घुरहू कोहार उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम बेलहिया छोटकी रामनगर, वार्ड नं0–3 थाना धकधई, जिला रूपनदेही, राष्ट्र नेपाल।

...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–0036 / 2026
धारा–105,115(2),352,3(5)बी0एन0एस0 2023
थाना–सोनौली कोतवाली, जिला–महराजगंज।

30–05–2026 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क**

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त सुरेश प्रजापति उर्फ नोहर की ओर से अपराध संख्या–0036 / 2026 धारा–105, 115(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 2023 थाना–सोनौली कोतवाली, जिला–महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है और न ही खारिज हुआ है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मनोज प्रजापति ने दिनांक 27–04–2026 को थाना सोनौली, जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 26 / 27–04–2026 की रात्रि को अपने छोटे भाई की शादी दीनानाथ प्रजापति निवासी ग्राम कैथवलिया उर्फ बरगदही, थाना सोनौली जनपद महराजगंज की पुत्री के साथ हो रही थी। शादी में जयमाल के समय रात्रि 01:00 बजे वादी का छोटा भाई विनोद प्रजापति जयमाल स्टेज पर फोटो खीचने गया तो फोटो खीचने की बात को लेकर वादी के भाई विनोद को **शम्भू प्रसाद** पुत्र श्यामल निवासी ग्राम कैथवलिया उर्फ बरगदही थाना सोनौली जनपद महराजगंज, **लाल साहेब** पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम तुर्कवलिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, **सुरेश**

प्रजापति पुत्र छन्नू ग्राम बेलहिया राष्ट्र नेपाल एवं उसके अन्य साथी वादी के भाई विनोद को लाठी—डन्डा से हमलावर होकर मारने पीटने लगे जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोट लग गयी। चोट लगने के कारण वादी का भाई विनोद मौके पर बेहोश होकर गिर गया, अनुरोध किया कि न्यायोचित कार्यवाही की जाये। वादी की सूचना पर थाना सोनौली, जिला महराजगंज में दिनांक 27—04—2026 को समय 16:22 बजे अपराध सं0—0036 / 2026 अन्तर्गत धारा—110, 115(2) बी0एन0एस0 अभियुक्तगण शम्भू प्रसाद, लाल साहेब एवं सुरेश प्रजापति के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना इस मामले में धारा—110 को विलोपित करते हुये धारा—105, 352, 3(5) बी0एन0एस0 में मामले को परिवर्तित होना कहा गया है।

4— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5— आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को रंजिशवश इस मुकदमा में गलत, झूठा एवं फर्जी तौर से फंसाया गया है। आवेदक के चन्द दुश्मनान की साजिश व प्रभाव में आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। दिनांक 26—04—2026 को दीनानाथ प्रजापति की पुत्री खुशी की शादी में ग्राम चड़लहा थाना नौतनवा से मनोज प्रजापति के घर से ग्राम सभा कैथवलिया उर्फ बरगदही में बारात आयी थी। आधा से अधिक बाराती ग्रामसभा कैथवलिया उर्फ बरगदही पहुंचने के पहले आपस में मदिरापान को लेकर मारपीट किये थे। आवेदक के रिस्तेदार शम्भू प्रसाद द्वारा 112 नम्बर पुलिस को बुलाया तथा पुलिस के चले जाने के पश्चात मल्लाह टोले पर मदिरापान किये और पुनः मारपीट किये। गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा समझाया बुझाया गया तो मामला शान्त हुआ। आवेदक द्वारा एक राय होकर साआशयपूर्वक कोई भी मारपीट, गाली गुप्ता वादी मुकदमा के भाई विनोद प्रजापति से नहीं हुयी है और न ही आवेदक द्वारा वादी के भाई विनोद प्रजापति को मारा पीटा गया बल्कि वादी मुकदमा मनोज प्रजापति का भाई विनोद प्रजापति जयमाला के समय अत्यधिक मदिरा का सेवन किया था तथा मदिरा का सेवन करने के बाद वह जयमाला के मंच पर पहुंच गया और वादी मुकदमा का भाई विनोद प्रजापति अपने आपको खुद सम्भाल नहीं पा रहा था। उसी दौरान मंच पर बारातियों को अत्यधिक मदिरा सेवन करने की बात को लेकर भगदड़ मच गयी और उसी दौरान वादी मुकदमा के भाई से धक्का—मुक्का होने के कारण वह मंच से नीचे गिर गया और उसी से उसके सर में चोटें आयी और उसी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। आवेदक द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है बल्कि तथाकथित वादी मुकदमा मनोज के भाई विनोद प्रजापति के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया। वादी मुकदमा ने अपने तहरीर में कोई स्वतन्त्र साक्षी का नाम अंकित नहीं है। वादी मुकदमा ने जिस समय घटना का जिक्र किया है उस समय आवेदक मौके पर मौजूद नहीं था और न ही आवेदक को उक्त तथाकथित घटना की

जानकारी है। आवेदक वृद्ध व्यक्ति है। वह उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह से ग्रसित है। जेल में रहने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर छूटने के बाद आवेदक के भागने की कोई आशंका नहीं है। आवेदक न्यायालय के समस्त आदेश व निर्देश का अक्षरशः पालन करेगा। आवेदक अपना विश्वसनीय प्रतिभूति देने को तैयार है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत बन्धपत्र पर रिहा किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिल कर फोटो खीचने की बात को लेकर वादी के भाई के सिर में मारा पीटा गया जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोट लग गयी और चोट लगने के कारण वादी का भाई विनोद मौके पर बेहोश होकर गिर गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारम्भ में धारा 110, 115(2) बी0एन0एस0 में दर्ज होना और दौरान विवेचना इस मामले में धारा–110 बी0एन0एस0 को विलोपित करते हुये धारा–105, 352, 3(5) बी0एन0एस0 में मामले को परिवर्तित होना कहा गया है।

7– इस मामले में सहअभियुक्त शम्भू प्रसाद द्वारा 100 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया जाना बताया गया है क्योंकि बाराती शराब पीकर आपस में मार कर रहे थे। मृतक विनोद प्रजापति को शराब के नशे में गिरना बताया गया है जिससे उसे हेड इंजरी आ गयी। वादी मुकदमा एवं विनोद आपस में सौतेले भाई हैं। पालिसी लेने के लिये रिपोर्ट दर्ज कराना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह विदित है कि इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सुरेश व शम्भू ने मृतक को मारा पीटा था। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में गांव के 29 लोगों के 29 शपथपत्र दाखिल किये गये हैं जिनके अनुसार कोई झगड़ा नहीं हुआ और न कोई मारपीट हुयी। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। अचानक झगड़ाजनित मामला होना कहा गया है। आवेदक अभियुक्त को एक माह से कारागार में बन्द होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8– प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

9– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त सुरेश प्रजापति उर्फ नोहर का जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान

राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँकः 30–05–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी0 1904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।

Digitally signed by ARVIND MALIK
Date: 2026.06.01 10:43:26 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court